कार्यालय जिलाधिकारी महामायानगर।

पत्रांक 1654 /डी0एल0आर0सी0–2009 दिनांक 11 सितम्बर,2009

संशोधित आदेश/विज्ञप्ति

इस कार्यालय के पत्र सॅख्या–1541/डी0एल0आर0सी0 दिंनाक 21–8–09 को प्रधानाचार्य सेठ गंगा सागर जठिया पालीटैक्निक,खुर्जा के अनुरोध पर आंशिक संशोधित करते हुऐ उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग–1,लखनऊ के शासनादेश संख्या 68/3–2(6)/1979–रा–1 दिनांक 05 सितम्बर,1986 सहपठित उ0प्र0जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950(उ0प्र0अधिनियम संख्या–1,1951)की धारा 117 की उपधारा(6)के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या–258/रा–1/16(1)–73 दिनांक 05 मार्च 1974 एवं शासनादेश सॅख्या–384/जी–5–8ए/91 दिनाक 19–1–91 के निर्देशों के अनुक्रम में पुर्नःग्रहण प्रस्ताव सेवारत विभागों के लिये अधिनियम की धारा 117 की उपधारा 1 के खण्ड(1)(2)(3)के अन्तर्गत ग्रामसभा / स्थानीय प्राधिकारियों में निहित वस्तुओं का पुर्नःग्रहण करने की शक्ति जिलाधिकारी में निहित की गयी है, के प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं प्रज्ञानराम मिश्रा,जिलाधिकारी महामायानगर निम्नांकित सूची में उल्लिखित भूमि को ,जो अब तक दिनांक 05 सितम्बर 1986 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ–6 में उल्लिखित गांवसभा में निहित थी,को फिर से अपने अधिकार में लेकर प्राविधिक विधालय की स्थापना हेतु ग्राम सलेमपुर तहसील सासनी जनपद महामायानगर में खोले जाने हेतु निःशुल्क उत्तर प्रदेश शासन के प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन करता हूँ। इस भूमि का अन्यथा उपयोग नहीं होगा।

क0	जनपद	तहसील	परगना	गांव	गांवसभा स्थलीय	गाटा संख्या	क्षेफत्रल	विवरण/प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुर्नग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महामायानगर	सासनी	सासनी	सलेमपुर	सलेमपुर	1043मि0	6.020 है0	महामाया पॉलीटेकनिक ऑफ इम्फोरेमेसन टैक्लोलीजी, महामायानगर (हाथरस)

(प्रज्ञानराम मिश्रा),
जिलाधिकारी,महामायानगर।

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1– आयुक्त एवं सचिव,राजस्व परिषद उ0प्रदेश,अनुभाग–5 लखनऊ।
2– सचिव,उ0प्र0शासन,राजस्व अनु0–1,लखनऊ।
3– आयुक्त,अलीगढ मण्डल,अलीगढ ।
4– निदेशक,मुद्रण एवं लेखा सामग्री उत्तर प्रदेश,इलाहावाद ।
5– उपजिलाधिकारी/तहसीलदार,सासनी को नियमानुसार कब्जा/दखल दिलाने व राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद करने हेतु ।
6– प्रधानाचार्य, सेठ गंगा सागर जठिया पालीटैक्निक,खुर्जा को इस निर्देश के साथ कि उक्त भूमि को कब्जा प्राप्त करें एवं अपने उच्चाधिकारीयों को भी सूचित करें ।